

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

॥ अधिसूचना ॥


पटना-15, दिनांक-20/3/2017

संख्या-1/श्रम वि०स्था० (3) 30-05/2013 श्र०सं०...303.../बिहार श्रम सेवा (तकनीकी) संवर्ग में डॉ० शमशेर बहादुर सिंह, मूल कोटि की वरीयता क्रमांक 2, उप मुख्य कारखाना निरीक्षक (सम्प्रति सेवानिवृत्त) को उप मुख्य कारखाना निरीक्षक के, पे-बैंड ₹ 15,600-39,100/-, ग्रेड पे ₹ 6,600/- से मुख्य कारखाना निरीक्षक के पद, पे-बैंड ₹ 15,600- 39,100/-, ग्रेड पे ₹ 7,600/- में मुख्य कारखाना निरीक्षक के पद पर कार्यकारी रूप से प्रभार ग्रहण की तिथि 09.3.16 से प्रोन्नति दी जाती है।

2. भूतलक्षी तिथि से प्रोन्नति के प्रस्ताव में वित्त विभाग, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त है।

3. उक्त दी गयी औपबन्धिक प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस०एल०पी० (सी) सं० 29770/2015, बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(कामेश्वर प्रसाद)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-1/श्रम वि०स्था० (3) 30-05/2013 श्र०सं०...303.../पटना-15, दिनांक-20/3/2017

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि० को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/श्रमायुक्त बिहार, पटना/बिहार श्रम सेवा, (सामान्य एवं तकनीकी) संवर्ग के सभी पदाधिकारी/डॉ० शमशेर बहादुर सिंह, सेवानिवृत्त प्रभारी मुख्य कारखाना निरीक्षक, एम०आई०जी० 277, लोहियानगर, कंकडबाग, पटना-20/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव